न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 40 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 अशोक उर्फ आशाराम पुत्र चम्पालाल (मालिक) मैसर्स जे0एन0 मसाला, 385, कोयला फाटक, सुभाष नगर ए, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री योगेश शर्मा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 16.09.2016 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स जे0एन0 मसाला, 385, कोयला फाटक, सुभाष नगर ए, पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए मिर्च पाउडर (जे0एन0 ब्राण्ड) के 500 ग्राम के पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–573 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिर्च पाउडर (जे0एन0 ब्राण्ड) को misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा misbranded स्तर के मिर्च पाउडर (जे0एन0 ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा परिवाद के साथ जो राजपत्र प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार प्रार्थी को खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सुरक्षा अधिकारी के पद का कार्य करने हेतु नियुक्त अवश्य कर रखा है। उक्त राजपत्र दिनांक 26.07.2011 के अन्त में यह नोट अंकित है कि एरिया नोटिफिकेशन विल बी सेपरेटली ईश्यू। इस अनुसार प्रार्थी को पाली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संलग्न जो मौका फर्द प्रस्तुत की है, उसमें जे.एन. मसाला, सुभाष नगर की फैक्ट्री से नमूना संग्रहित करना बताया है, जबकि पत्रावली में प्रस्तुत फार्म V में उक्त नमूना 385, कोयला फाटक, सुभाष नगर, ए से संग्रहित करना बताया है। मौका फर्द एवं फार्म V में नमूना संग्रहित करनेक ा स्थान अलग अलग बताया है, जबकि इन दोनों दस्तावेज में नमूना कोड व क्रमांक एक ही है। अप्रार्थी की सुभाष नगर क्षैत्र में कोई फैक्ट्री स्थित नहीं है। दिनांक 16.09.2016 को अप्रार्थी की दुकान से कोई नमूना संग्रहित नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी की फर्म के बिल में अप्रार्थी की फर्म जे.एन. मसाला का एड्रेस रेल्वे ओवरब्रिज के पास, मिलगेट, पाली अंकित है, इस बिल में अंकित पते पर से परिवाद में वर्णित पता संग्रहित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा न तो अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया एवं न ही अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त सामग्री बिक्री हेतु रखा जाना बताया है, सम्पूर्ण तथ्य मनगढन्त अंकित किए है। इसके अतिरिक्त प्रपत्र 5 ए भी मौके पर तैयार नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह स्पष्ट ही नहीं किया गया कि कौनसा सैम्पल जांच हेतु भिजवाया गया है, सुभाष नगर में स्थित परिसर से लिया गया सैम्पल अथवा कोयला फाटक के पास स्थित सुभाष नगर ए क्षैत्र से लिया गया सैम्पल। पत्रावली में उपलब्ध फार्म B के तीसरे पैरा में यह अंकित है कि I Found the Sample to be "Salt' Spices, Confiments & Related Product" जिससे स्पष्ट है कि मिर्ची का सैम्पल जांच हेतु नहीं भेजा गया। इसमें जे. एन. मसाला (धमका वाला) फैक्ट्री 67/69, सतगुरू नगर, भालेलाव रोड़, पाली से सैम्पल लिया जाना अंकित किया है। अप्रार्थी की फर्म से जो नमूना संग्रहित करना बताया है, वह नमूना जांच हेतु नहीं भेजा गया है एवं न ही उक्त नमूना मिस ब्राण्ड होना पाया गया है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी द्वारा परिवाद में वर्णित अपराध कारित करना नहीं पाया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रोप करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.09.2016 को अप्रार्थी की फर्म से मिर्च पाउडर (जे0एन0 ब्राण्ड) के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–573 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1156 /एक्ट/2016/1167 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–573 को misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) स्तर का माना है। अप्रार्थी का मुख्य उज्र यह रहा कि अप्रार्थी की फर्म से जो सैम्पल लिया गया है, उसकी जांच नहीं करवाई गई एवं किसी अन्य स्थान से लिए गए सैम्पल की जांच खाद्य विश्लेषक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

द्वारा की गई है। इस तथ्य का पत्रावली के दस्तावेजात् से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 16.09.2016 को जो सैम्पल लिया गया है, वह जे0एल0 मसाला, सुभाष नगर से लिया गया है, जो नमूना कोड संख्या आर–573 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। नमूना पर जो लेबल अंकित है, उसमें निर्माता का जो विवरण अंकित है, उसमें जे.एन. मसाला, (धमका वाला) फैक्ट्री -- 67/69, सतगरू नगर, भालेलाव रोड़, पाली अंकित हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि जो सैम्पल लिया गया, वह किसी अन्यत्र स्थान का हो, क्योंकि सैम्पल लेने बाबत जो भी कार्यवाही हुई है, वह स्वयं अप्रार्थी के समक्ष हुई है, जिसके दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा निर्मित मिर्च पाउडर (जे0एन0 ब्राण्ड) को misbranded स्तर का माना है, जिसे अप्रार्थी द्वारा नकारा नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जो नमूना लिया गया है, वह misbranded पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 50 व 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप खाद्य वस्तु का विर्निमाण/विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली